पत्रांक– 141 -(17)/2026

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 26/02/2026

विषय :– **राजस्व प्रशासन के प्रशासनिक इकाईयों में "दलालों" एवं मुंशियों के हस्तक्षेप पर रोक एवं "भू–माफिया" पर नियंत्रण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समृद्धि यात्रा एवं माननीय़ उप मुख्यमंत्री के जन कल्याण संवाद में विभिन्न जिलों के भ्रमण के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि (क) नगर क्षेत्र में कार्य की अधिकता के आलोक में हलका कर्मचारी द्वारा विभिन्न वार्डो के लिए अनौपचारिक रूप से "सहायक मुंशी" अपने सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है जो उन्हें कार्य में सहयोग करते हैं। (ख) पटना महानगर में तो समानान्तर कार्यालय संपतचक में चलता हुआ पाया गया।

2. राजस्व प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यालयों में बिचौलियों (Middle Men)/दलालों/मुंशी का होना यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा Adequate निरीक्षण एवं नियंत्रण की कमी है।

राजस्व प्रशासन पर "भू–माफिया" द्वारा तरह–तरह से प्रहार किया जा रहा है। इन पर **Rule of Law** के अधीन उचित कार्यवाई की जानी चाहिए, यही सात निश्चय की अवधारणा है। भू–माफिया पर न्यायिक/आपराधिक कार्यवाई/प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में निर्देश पूर्व में परिपत्र सं0–1 (11) दिनांक–03.01.2026 द्वारा दिया जा चुका है।

3. कतिपय मुंशी/दलालों की अंचल कार्यालयों में उपस्थिति एवं हलका कर्मचारियों के साथ साठ–गाँठ रहना राजस्व प्रशासन के छवि को धूमिल तो करता ही है साथ ही आम जनता के परेशानी को बढ़ाता है एवं सरकार के Ease of living संकल्प के भी प्रतिकूल है।

4. अतः पूरे व्यवस्था पर सुचारू नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएँ :–

(क) सभी अंचल कार्यालयों में High End CCTV कैमरे स्थापित की जाए ताकि अंचल कार्यालय पारदर्शी हो एवं दलालों का प्रवेश निषेध हो। इस हेतु विभाग द्वारा राशि आवंटित की जा चुकी है।

(ख) सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता को अपने क्षेत्रीय भ्रमण में यदि किसी दलाल/मुंशी की पहचान हो तो तुरन्त उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में **IPS/BNS** धारा 318/319/316/336/340/221/308 एवं 61 के अन्तर्गत अंचल अधिकारी को संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देंगे।

(ग) यदि अंचल अधिकारी/हलका कर्मचारी की संलिप्तता (जैसे कि पुराने फर्जी राजस्व रसीद का उपयोग इत्यादि) प्रतीत हो तब उनके लिए अलग से जाँच (त्रि सदस्यीय जिला स्तर के धावा दल) कराकर अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाई की जाए।

(घ) सरकार की यह स्पष्ट मंशा है कि विभिन्न शहरी क्षेत्र में "भू–माफियाओं" के प्रकोप से नागरिकों को निजात मिले। यह तभी संभव है जब जिला के शीर्ष राजस्व प्रशासन के अधिकारीगण नगर क्षेत्र स्थित अंचल कार्यालयों पर विशेष औपचारिक निगरानी तंत्र विकसित करें, जिससे पूरे "भू–माफिया" का सफाया किया जा सके।

(ङ) किसी भी जिला में "भू–माफिया" की पहचान हुई तो अंचल अधिकारी उनपर सुसंगत BNS की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्राधिकृत किए जाते हैं।

अतः सभी से यह अनुरोध है कि राजस्व प्रशासन के जुड़े "भू–माफियाओं" एवं दलाल/मुंशी प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएँ एवं आम नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं सुलभ आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने का सतत् प्रयास करें।

विश्वासभाजन,
26/02/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।